

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ  
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक : एफ 11 (1) (25)पो.मो./आईसीडीएस/सबला/2012

102488-497

जयपुर, दिनांक

2.8.18

उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग,

भीलवाडा / जोधपुर / बासंवाडा / उदयपुर /

झालावाड / डूंगरपुर / बीकानेर / जयपुर /

बाडमेर एवं श्रीगंगानगर।

विषय:—सबला योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किशोरी बालिकाओं की सूचना भिजवाने के संन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सबला योजना के अन्तर्गत पूरक पोषाहार से लाभान्वित किशोरी बालिकाओं की सूचना निर्धारित प्रपत्र में वर्षावार एवं परियोजनावार संकलित कर दिनांक 12.08.2016 तक विभागीय ई-मेल [adn.wcd@rajasthan.gov.in](mailto:adn.wcd@rajasthan.gov.in) पर भिजवाने की सुनिश्चित व्यवस्था करावे। ताकि जन लेखा समिति का जवाब समय पर प्रस्तुत किया जा सके।

सलंगन— उपरोक्तानुसार

अतिरिक्त निदेशक (पो0)  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर।



